न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—28 / 202 दायर दिनांक:—05.12.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 722

1. समयसिंह
2. बचनसिंह
3. रजनसिंह

पिसरान जौहरी समस्त जाति—जाट, निवासी—सौमलारात्रा तहसील—सूरौठ, जिला—करौली (राज0)

————अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सौमलारात्रा, पंचायत समिति हिण्डौनसिटी, जिला—करौली (राज0)

———रैस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 76
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ नामान्तकरण सं0 578 ग्राम सोमलारात्रा सरपंच ग्राम पंचायत सोमलारात्रा तहसील सूरौठ दिनांक 22.01.2013

उपस्थित —1.श्री पी.एल. गोयल अधिवक्ता अपीलान्टीगण
2.सरपंच ग्राम पंचायत सोमलारात्रा रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक:—14.05.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 76 एल0आर0एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सरपंच गाम पंचायत सौमलारात्रा खिलाफ, कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने के कारण गैरकानूनी है तथा काबिले निरस्त है।

अपीलांट का पिता जौहरी फोत होने के बाद आराजी खाता संख्या नया 51 खसरा नं0 11, 111, 130, 132, 14, 173, 47, 50, 64, 69, 76, 78, 82, 83 व 89 कुल किता 15 कुल रकवा 5.20 है0 स्थित ग्राम सौमलारात्रा तहसील सूरौठ स्थित है, जिसमें पूर्व में उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पिता जौहरी की खातेदार में रही है तथा जौहरी की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उसके विधिक वारिसान अपीलान्ट्स व उनके भाईयों के नाम खातेदारी में दर्ज हो [illegible] राजी खाता संख्या 303 का खसरा नं0 56 कुल रकवा 50 [illegible] तहसील सूरौठ स्थित है, जिसमें पूर्व में उक्त भूमि [illegible] जौहरी की खातेदारी में रही है तथा जौहरी की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उस[illegible] विधिक वारिसान अपी[illegible] व उनके भाईयों के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खाता संख्या नया 21 खसरा नं0 177, 178, 179 कुला किता 3 कुल रकवा 1.1 है0 स्थित ग्राम सौमलारात्रा तहसील सूरौठ स्थित है, जिसमें पूर्व में उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पिता जौहरी की खातेदारी में रही है तथा जौहरी की मृत्यु

उपरान्त उक्त भूमि उसके विधिक वारिसान अपीलान्ट्स व उनके भाईयों के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी।

आराजी खाता संख्या नया 23 खसरा नं0 75 कुल रकवा 29 ऐयर स्थित ग्राम सौमलारात्र तहसील सूरौठ जिला करौली स्थित है, जिसमें पूर्व में उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पिता जौहरी की खातेदारी में रही है तथा जौहरी की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उसके विधिक वारिसान अपीलान्ट्स व उनके भाईयों के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी।

आराजी खसरा नं0 51 कुल रकवा 23 ऐयर स्थित ग्राम सौमलारात्रा तहसील सूरौठ स्थित है, जिसमें पूर्व में उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पिता जौहरी की खातेदारी में रही है तथा जौहरी की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उसके विधिक वारिसान अपीलान्ट्स व उनके भाईयों के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी।

जौहरी के 6 पुत्र रतन, सामन्त, समयसिंह, बचनसिंह, रजनसिंह व विजयसिंह रहे हैं तथा उनमें विजयसिंह का दिनांक 24.04.2003 को व रतनसिंह का दिनांक 11.06.2018 को तथा सामन्तसिंह का दिनांक 10.11.2014 को देहांत हो गया तथा तीनों ही लाऔलाद फौत हुए हैं तथा उक्त तीनों व्यक्तियों की शादी ही नहीं हुई थी, इसलिये अपीलान्ट्स ही उनके खास भाई होने के कारण मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम उनके विधिक वारिस हैं और मृतकों के तरके पर काबिज व दखील हैं।

अपीलान्ट के खास भाई विजयसिंह की मृत्यु होने पर उपरोक्त आराजीयात में विजयसिंह की विरासत का नामांतकरण अपीलान्ट्स व उनके उन्य दो भाईयों के नाम नामांतकरण नम्बरी 578 तारीखी 22.01.2013 को तत्कालीन रैस्पोडेन्ट द्वारा तस्दीक किया गया, मगर उक्त नामान्तकरण को भरते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स व उनके भाई जो कि जौहरी के लडके हैं को गलत व विधि विरूद्ध तरीके से मृतक विजयसिंह का पुत्र बताते हुए उक्त नामांतकरण भरकर तस्दीक किया गया है, जबकि अपीलान्ट मृतक विजयसिंह के पुत्र ना होकर जौहरी के पुत्रगण हैं व मृतक विजयसिंह के खास सगे भाई हैं, मगर पटवारी हल्का ने उक्त स्थिति को नजर अंदाज कर गलत व विधि विरूद्ध तरीके से उक्त नामांतकरण को भरकर रैस्पोडेन्ट से तस्दीक करा दिया, इसलिए उक्त नामांतकरण खिलाफ कानून होने से जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन नामांतकरा पटवारी हल्का ने भरते समय व रैस्पोडेन्ट ने तस्दीक करते समय अपीलान्ट्स के वारिसान की विधि अनुसार व मौके के अनुरूप जॉच नहीं की, बल्कि सरसरी तौर पर ही गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपीलान्ट्स को मृतक विजयसिंह का पुत्र बताते हुए नामांतकरण किया जबकि अपीलान्ट्स मृतक के पुत्र ना होकर खास भाई है, इसलिए उक्त नामांतकरण विधि विरूद्ध होने से जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का द्वारा उक्त अपीलाधीन नामांतकरण दिनांक 22.01.2013 को भरा गया है तथा रैस्पोडेन्ट द्वारा उक्त दिनांक को ही उक्त नामांतकरण तस्दीक किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मृतक के वारिसान की मौके पर किसी प्रकार की जॉच नहीं की और मनमर्जी तरीके से जल्दबाजी में नामांतकरण भरकर खिलाफ कानून तस्दीक करा दिया गया। इसलिए उक्त नामांतकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट्स द्वारा अपने भाई सामंत तत्पश्चात रतन की मृत्यु होने पर उक्त दोनों भाईयों के हिस्से का नामांतकरण खुलवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी की नकलें लाने के लिए कहा, जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा जमाबंदियों की नकलें दिनांक 21.11.2022 को ली गई, जिनको देखने पर अपीलान्ट्स की वल्दियत जौहरी व विजयसिंह दोनों की जमाबंदियों में दर्ज मिलीं, जिसके संबंध में पटवारी हल्का से पूछने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त अपीलान्ट्स द्वारा उक्त नामांतकरण की नकल का प्रार्थना पत्र देने पर उक्त नामांतकरण की नकल अपीलान्ट्स को दिनांक 21.11.2022 को प्राप्त हुई, जिसे देखने पर अपीलान्ट्स को उक्त विधि विरूद्ध नामांतकरण की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट्स को उक्त नामांतकरण की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अपील इल्म की तिथि से अन्दर म्याद पेश है। बरफाये हुज्जत दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण नम्बरी 578 तारीखी 22.01.2013 ग्राम पंचायत सौमलारात्रा को निरस्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाया जावे कि मौके पर मृतक विजयसिंह के विधिक वारिसान की जानकारी कर नियमानुसार नामांतकरण भरकर तस्दीक किया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ, रैस्पोन्डेन्ट के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 03.04.2024 द्वारा रैस्पोन्डेन्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण संख्या 578 ग्राम सोमलारात्रा की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2068–71, खाता संख्या नया 19, 21, 23, 25, 245, 245 (मजकूर), ग्राम सोमलारात्रा की प्रमाणित प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र (विजयसिंह) की प्रति, सामन्त की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र रतन की प्रमाणित प्रति पेश किये हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण संख्या 578 ग्राम सोमलारात्रा की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2068–71, खाता संख्या नया 19, 21, 23, 25, 245, 245 (मजकूर), ग्राम सोमलारात्रा की प्रमाणित प्रति, में अपीलान्टस को विजयसिंह का पुत्र बताते हुए जौहरी के स्थान पर विजयसिंह को पिता बना दिया गया जो दर्ज रिकॉर्ड है

जबकि वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल मृत्यु प्रमाण पत्र (विजयसिंह) की प्रति, सामन्त के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र रतन की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें विजयसिंह, सामन्त एवं रतन के पिता का नाम जौहरी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण संख्या 578 ग्राम सोमलारात्रा की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2068–71, खाता संख्या नया 19, 21, 23, 25, 245, 245 (मजकूर), ग्राम सोमलारात्रा की प्रमाणित प्रति, में अपीलान्टस को विजयसिंह का पुत्र बताते हुए जौहरी के स्थान पर विजयसिंह को पिता बना दिया गया जो दर्ज रिकॉर्ड है वाके ग्राम सोमलारात्रा तहसील सूरौठ के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं

जबकि अपीलान्टीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरों में खातेदारों की हिस्सेदारी तो सही है लेकिन नामांतकरण संख्या 578 दिनांक 22.01.2013 में अपीलांटस के पिता जौहरी के स्थान पर विजयसिंह दर्ज रिकॉर्ड हो गयी है। जबकि अपीलांटस के पिता का नाम विजयसिंह के स्थान पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्रों (विजयसिंह, सामन्त, रतन) द्वारा उक्त भूमि में अपीलान्ट्स के पिता का नाम जौहरी के स्थान पर विजयसिंह का अंकन दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड यथा मृत्यु प्रमाण पत्रों से अपीलान्टस के पिता विजयसिंह के स्थान पर जौहरी सही होना प्रतीत होता है। एवं प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 578 फैंसल दिनांक 22.01.2013 निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाती है। साथ ही अपीलान्टस द्वारा उक्त विवादित भूमि का बैंक में रहन है, अपीलान्टस द्वारा बैंक से अदेय प्रमाण पत्र तहसीलदार सूरौठ के यहॉ पेश करने की स्थिति में ही नामान्तकरण सं0 578 फैंसल दिनांक 22.01.2013 ग्राम सोमलारात्रा तहसील सूरौठ को निरस्त मानते हुए तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। इस हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:03 IST
Reason: SelfAttested